



RAEBARELI POLICE



दिनांक 09 जुलाई 2021

थाना खीरों

अवैध शस्त्र-कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 09 जुलाई 2021 को थाना खीरों पुलिस टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर अभियुक्त शारुख पुत्र अब्दुल मलिक निवासी ग्राम हरिपुर मिर्दहा थाना खीरों जनपद रायबरेली को मय 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ थानाक्षेत्र के अतरहर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-259/2021 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

शारुख पुत्र अब्दुल मलिक निवासी ग्राम हरिपुर मिर्दहा थाना खीरों जनपद रायबरेली।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

अपराधिक इतिहास:-

मुअसं-293/2019 धारा-452,323,504,506 भादवि.

मुअसं-294/2019 धारा-379,411 भादवि.

मुअसं-384/2019 धारा-385,352,504,506,427 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उप-निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार सिंह थाना खीरों रायबरेली।
2. मुख्य आरक्षी श्री सुधीर कुमार पाण्डेय थाना खीरों रायबरेली।
3. आरक्षी श्री शैलेश मौर्या थाना खीरों रायबरेली।
4. आरक्षी श्री परवेन्द्र कुमार थाना खीरों रायबरेली।



मीडिया सेल रायबरेली